47

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 477/1994 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–1993 – पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 120 अ–19/1972–73 अपील

नवल किशोर पुत्र काशीराम नामदेव
निवासी ओ.पी0टेलर्स बरिया तिगडडा
तहसील व जिला सागर मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

1– पंचम सिंह पुत्र माधौ कोटवार
निवासी बण्डा तहयरन बण्डा जिला सागर
2– शिखरचंद पुत्र धनप्रसाद जैन निवासी
बण्डा तहसील बण्डा जिला सागर म0प्र0
3– मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव )
(रिस्पा0 –3 के पैनल लायर श्री प्रभात जौदान)
(रिस्पा0 –1,2 के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, सागर संभाग,सागर के प्रकरण क्रमांक 120 अ–19/1972–73 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–4–1973 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा बण्डा तहसील बण्डा में भूमि सर्वे नंबर 645/1 रकबा 3–28 एकड़(सेवा खाता) कोटवार

भूमि के रूप में रिस्पा0क्रमांक-1 को प्रदान की गई थी। रिस्पा0क्रमांक-1 ने कलेक्टर सागर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि यह भूमि कृषि योग्य नहीं है इसलिये रिस्पा0क्रमांक-2 की भूमि सर्वे नंबर 756/1 रकबा 1038 एकड़, सर्वे नंबर 754/2 रकबा 0.50 एकड़, सर्वे नंबर 759/2 रकबा 1.88 एकड़ से विनिमय स्वीकार किया जावे। कलेक्टर सागर ने प्रकरण क्रमांक 125 बी-121/1970-71 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 7-10-1971 पारित करके रिस्पा.क्र.-1 का आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में कोटवार के लिये आरक्षित सेवा खाता भूमि का निजी भूमिस्वामी की भूमि से विनिमय का प्रावधान नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध रिस्पा0क्र0-1 ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, सागर संभाग,सागर ने प्रकरण क्रमांक 120 अ-19/ 1972-73 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-4-1993 से कलेक्टर सागर का आदेश दिनॉक 7-10-1871 निरस्त कर दिया तथा रिस्पा0क्र0 1 की भूमि सर्वे नंबर 645/1 रकबा 3-28 एकड का विनिमय रिस्पा0 क्रमांक-2 की भूमि सर्वे नंबर 756/1 रकबा 1.38 एकड़, सर्वे नंबर 754/2 रकबा 0.50 एकड़, सर्वे नंबर 759/2 रकबा 1.88 एकड़ से कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर अपीलांट एंव शासन के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । रिस्पा0क्र0 1 एंव 2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उपस्थित अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आयुक्त, सागर संभाग,सागर ने प्रकरण क्रमांक 120 अ-19/1972-73 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-4-1973 से उपरोक्त पद 2 में वर्णित भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के नियम 17 को देखते हुये तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 183 (2) सेवा भूमि को शासकीय भूमि मानकर विनिमय स्वीकार किया है किन्तु शासकीय भूमि जब कोटवार की सेवा भूमि के लिये कलेक्टर के अन्य आदेश से आरक्षित कर दी गई, तब कलेक्टर के भूमि आरक्षण के आदेश के निरस्त हुये बिना तथा शासन मद में वापिस लिये बिना विनिमय स्वीकार करना नियम विरूद्ध है जब तक भूमि कोटवार सेवा भूमि के लिये आरक्षित है भूमि का विनिमय नहीं किया जा सकता।

5/ जहॉ तक कोटचार व्दारा भूमि के विनिमय का आवेदन दिये जाने का प्रश्न है ? कोटवार सेवा भूमि का स्वत्वाधिकारी भूमिस्वामी नहीं है अपितु शासन व्दारा जिस भूमि को सेवा खाते के लिये आरक्षित किया गया है वह ऐसी आरक्षित भूमि के कृषि लाभ (फसल लाभ) मात्र प्राप्त करने तक उसके अधिकार सीमित है उसे अन्य भूमिस्वामी की भूमि से सेवा खाते की भूमि विनिमय कराने की एंव आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं है जिसके कारण अनावेदक क्रमांक-1 पंचम बल्द माधौ कोटवार व्दारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत विनिमय आवेदन अग्राह्य है जिसे ग्राह्य मानकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 24-4-1973 से भूमि विनिमय स्वीकार करने की भूल की है।

6 उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील ऑशिक रूप से

स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग,सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 120 अ-19/1972-73 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-4-1973 तथा कलेक्टर सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 125 बी-121/1970-71 में पारित आदेश दिनांक 7-10-1971 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा कलेक्टर सागर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पंचम बल्द माधौ कोटवार के आवेदन के आवेदन में बताई गई इस मॉग पर जॉच एंव पुर्नविचार करें कि क्या कोटवार मद की भूमि अनुपजाउ है यदि भूमि अनुपजाउ पाई जाय - तब कोटकार मद के लिये अन्यत्र उपजाउ किस्म की भूमि आरक्षित करने पर विचार करते हुये पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर